Crim-1

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट निवाई टोंक

[उन]वान तहसीलदार बनाम उदा लाल   किस्म मुकदमा : प्रा0पत्र 136

[मु]कदमा नम्बर 638/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2025	आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 मय रिपोर्ट एवं सम्बन्धित दस्तावेजात के तहसीलदार निवाई की ओर से प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के आवेदन का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने भूमि खाता संख्या 364, 338 के ख0नं0 813, 828, 829/1, 829/2, 809/1, 809/2, 810, 817 वाके ग्राम दहलोद पटवार हल्का दहलोद तहसील निवाई की जमबान्दी संलग्न कर, अपनी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में माधोलाल के स्थान पर उदा लाल करवाने का निवेदन किया जिस पर पटवार हल्का दहलोद व भू.अ.नि. करेडा बुजुर्ग की रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम माधोला के बजाय उदा लाल होना बताया जाकर, शुद्ध किया जाना उचित बताया गया है। तथा तहसीलदार निवाई द्वारा भी प्रार्थी का नाम माधोलाल के बजाय उदा लाल शुद्ध किये जाने हेतु लिखा गया है। ऐसे में न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार निवाई/पटवार हल्का दहलोद एवं भू.अ.नि. करेडा बुजुर्ग की रिपोर्ट के आलोक में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि उपर्यूक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम माधोलाल के स्थान पर उदा लाल शुद्ध कर पालना से अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)	